राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2477 / 2025

हेमराज सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.04.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक सामोदा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी जो कि क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर रेंज डाबी, उप वन संरक्षक, बूंदी में कार्यरत है, का स्थानांतरण आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से विकास अधिकारी पंचायत समिति बाडी, धौलपुर (उप वन संरक्षक, धौलपुर) में किया गया है। पूर्व में उक्त स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 796 / 2025 प्रस्तुत की थी, जो अपील इस अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 13.02.2025 के द्वारा खारिज की गई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी ने उक्त स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 2809 / 2025 प्रस्तुत की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 25.02.2025 पारित कर अपीलार्थी को यह आदेश दिया था कि वह सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग आख्यात्मक आदेश जारी कर करेगा। अपीलार्थी ने अपना अभ्यावेदन दिनांक

24.03.2025 को प्रस्तुत कर दिया, परन्तु उक्त अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभी तक विचार नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आगे यह भी कथन किया है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाडी जिला धौलपुर द्वारा पत्र दिनांक 02.04.2025 जारी किया गया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि पंचायत समिति बाडी धौलपुर में उप वन संरक्षक, धौलपुर का कोई पद सृजित नहीं है।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से हम पाते हैं कि अपीलार्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी जिस पत्र दिनांक 02.04.2025 का हवाला वर्तमान अपील में दिया है, वह अपीलार्थी से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि उप वन संरक्षक के पद के संबंध में है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने वर्तमान अपील उसी आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की है, जिसे अपीलार्थी ने पूर्व में इस अधिकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। ऐसे में हम पाते हैं अपीलार्थी ने चूंकि न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है।
5. अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)